भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1881

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

अन्तर-राज्यीय परिषद् की बैठक

1881. डॉ0 टी. सुब्बारामी रेड्डीः

श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्तर-राज्यीय परिषद् की बैठक बुलायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सुशासन और प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं, आधार कार्ड, इत्यादि हेतु मुख्यमंत्रियों द्वारा कोई प्रस्ताव/सुझाव दिये गए और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस बैठक में कोई निर्णय लिया गया, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): जी, हां। दिनांक 16.07.2016 को आयोजित अन्तर-राज्य परिषद की 11वीं बैठक के दौरान कार्य-सूची की निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई-

i) **केन्द्र-राज्य संबंधों पर पंछी समिति की सिफारिशों पर विचार।**

ii) **सब्सिडी, लाभ और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचानकर्ता के रूप में आधार का इस्तेमाल।**

iii) **शिक्षण के नतीजों में सुधार, बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और**

iv) **आतंकवाद/विद्रोह का मुकाबला करने के संबंध में आसूचना के आदान-प्रदान और समन्वय पर विशेष ध्यान देते हुए आन्तरिक सुरक्षा तथा पुलिस सुधार एवं पुलिस आधुनिकीकरण।**

(ग) और (घ): मुख्यमंत्रियों ने सुशासन एवं सीधे लाभ संबंधी योजनाओं तथा सब्सिडी, लाभ और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचानकर्ता के रूप में आधार के इस्तेमाल के बारे में प्रस्ताव दिए। अन्तर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्रियों के सुझाव/प्रस्ताव नोट कर लिए गए हैं।

*****